

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर**

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि./पार्ट-04/2018/

दिनांक:-

-:आदेश:-

निम्नलिखित नर्सिंगकर्मी जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क. सं.	कर्मचारी का नाम	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	मेरी के.एम.	नर्स प्रथम	बीकानेर	10.02.1958	28.02.2018
2.	ज्योति मल्होत्रा	नर्स प्रथम	बीकानेर	13.03.1958	31.03.2018
3.	श्री शीतल कुमार जैन	फार्मासिस्ट	जयपुर	03.03.1958	31.03.2018
4.	श्री रमण लाल कलाल	नर्स प्रथम	उदयपुर	20.03.1958	31.03.2018
5.	मरियम्मा वी.ए.	नर्स प्रथम	बीकानेर	06.04.1958	30.04.2018
6.	श्री नानूलाल जाट	नर्स प्रथम	जयपुर प्रथम	01.05.1958	30.04.2018
7.	श्री घनश्याम दत्त शर्मा	नर्स प्रथम	दौसा	28.05.1958	31.05.2018
8.	दयाराम यादव	नर्स प्रथम	अलवर	30.05.1958	31.05.2018
9.	राजकुमारी सैन	नर्स प्रथम	भीलवाड़ा	11.05.1958	31.05.2018
10.	श्री सुरेश चन्द्र भारद्वाज	नर्स प्रथम	करौली	25.06.1958	30.06.2018
11.	श्री मोहम्मद इब्राहिम चौहान	नर्स प्रथम	बीकानेर	13.06.1958	30.06.2018
12.	श्री महेश जोशी	नर्स प्रथम	बांसवाड़ा	30.07.1958	31.07.2018
13.	श्री मदन लाल शर्मा	नर्स प्रथम	भरतपुर	05.07.1958	31.07.2018
14.	श्री महेशचन्द्र	नर्स प्रथम	भरतपुर	16.07.1958	31.07.2018
15.	श्री गोपाल लाल शर्मा	नर्स प्रथम	जयपुर	01.08.1958	31.07.2018
16.	श्री निरंजनलाल	नर्स प्रथम	भरतपुर	20.08.1958	31.08.2018
17.	श्री रोशन लाल	नर्स प्रथम	भरतपुर	01.09.1958	31.08.2018
18.	श्री सलीम	फार्मासिस्ट	पाली	03.08.1958	31.08.2018
19.	मेरी निर्मला वी.जे.	नर्स प्रथम	बीकानेर	05.09.1958	30.09.2018
20.	शमीमुद्दीन चिश्ती	नर्स प्रथम	बूंदी	15.10.1958	31.10.2018
21.	स्नेहलता मसीह	नर्सिंग ट्यूटर	अजमेर	18.10.1958	31.10.2018
22.	रती राम यादव	नर्स प्रथम	सीकर	15.10.1958	31.10.2018
23.	कूलदीप कौर कैन्थ	नर्स प्रथम	बीकानेर	17.11.1958	30.11.2018
24.	मणि शर्मा	नर्स प्रथम	बीकानेर	01.01.1959	31.12.2018
25.	श्री रामावतार महायच	नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड-2	बीकानेर	05.12.1958	31.12.2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नर्सिंग कर्मिकों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

sd -

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक: 05/02/18

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि./पार्ट-04/2018/88

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
3. संबंधित प्रधानाचार्य।
4. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी., मुख्यालय।
5. संबंधित अधीक्षक।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
7. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
8. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
9. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
10. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
11. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर